

04.06.2021

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। पेट्रोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट की मूल अपील खारिज होने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी तरह की कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

